

Form LTC
[Rule 163E (6)]

06/Pol.-111/2016

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No.-389/2017 147

Dated : 08.01.18

1. A License is hereby granted to **Sri Santosh Kumar, S/O-Sri Rambalak Singh, Vill-Nehusa Bigha, P.O.-Nehusa, P.S.-Harnaut, Dist-Nalanda.** to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building **Shree Ram Computerised Dharmkanta, N.H.-31 Mushari Harnaut, Dist-Nalanda.** The PTS is authorized to test the following types of vehicles :-

(a) **Petrol Diesel both**

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from :- 08.01.2018 to 07.01.2019

Date :

Seal :

(Signature of Licensing Authority)

The license is hereby renewed from :- ----- to ----- **विशेष कार्य पदाधिकारी (मुख्यालय)
पश्चिम विभाग, बिहार, पटना**

(Signature of Licensing Authority)

ज्ञापांक :- 147

पटना, दिनांक :- 08.01.18

प्रतिलिपि: 1. श्री संतोष कुमार, पिता-श्री रामबालक सिंह, ग्राम-नेहुसा बिगहा, पो0-नेहुसा, थाना+प्रखण्ड-हरनौत, अनु0+जिला-नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ./बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई. टी. मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature of Licensing Authority)

विशेष कार्य पदाधिकारी (मुख्यालय)

पश्चिम विभाग, बिहार, पटना

नोट :- यह अनुज्ञप्ति पारपृष्ठ पर उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

मुग अनुज्ञप्ति प्राप्त किया
संतोष कुमार
8/01/2018